अधीक्षक कार्यालय, एम0 जे0 के0 अस्पताल, प0 चम्पारण, बेतिया।

पत्रांक......................./

प्रेषक,

अधीक्षक,
एम0जे0के0 अस्पताल,
प0 चम्पारण, बेतिया।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
बिहार,पटना।

बेतिया, दिनांक................................/

विषय : वित्तीय वर्ष 2016–2017 में दवा/मशीन/उपकरण/उपस्कर/सामग्री आदि क्रय हेतु निविदा प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सरकार के उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना के पत्र संख्या–740(12) दिनांक–05.11.2014 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–2017 में दवा एवं अन्य सामग्री/उपस्कर क्रय हेतु निविदा प्रकाशन किया जाना है। निविदा प्रकाशन हेतु निविदा प्रारूप की प्रति एवं सी0डी0 संलग्न है।

अतः अनुराध है कि इसे दो राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं तीन राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों में न्युनतम एवं पठनीय साईज में यथाशीघ्र प्रकाशन करवाने की कृपा की जाय।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन

अधीक्षक,
एम0जे0के0 अस्पताल,
प0 चम्पारण, बेतिया।

ज्ञापांक 1192 / बेतिया, दिनांक 24/10/2016 /

प्रतिलिपि: प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया को संस्थान के वेबसाईड पर निविदा प्रकाशन हेतु निविदा के प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया को निविदा की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को निविदा की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को निविदा की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, बिहार, पटना को निविदा की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षक,
एम0जे0के0 अस्पताल,
प0 चम्पारण, बेतिया।

D:\Latter M.J.K.H.doc

अधीक्षक का कार्यालय,
एम0जे0के0 अस्पताल सह राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया, प0 चम्पारण।
निविदा आमंत्रण सूचना

पश्चिम चम्पारण जिलान्तगर्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (एम0जे0के0 अस्पताल) बेतिया, प0 चम्पारण के लिए वर्ष 2016–17 में स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 379(9) दिनांक 16.08.02, पत्रांक 73(9) दिनांक 28.01.06 एवं पत्रांक 1757 दिनांक 19.10.14 तथा पत्रांक 740(12) दिनांक 05.11.14 के आलोक में दवा, मशीन/उपस्कर/विविध सामग्री के क्रय हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी निर्माताओं एवं अधिकृत आपूर्तिकत्ताओं जो बिहार वाणिज्य कर विभाग से निबंधित हों, से मुहरबंद निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रथम प्रकाशन की तिथि से 10 (दस) वें दिन अपराह्न 05:00 बजे तक स्वीकार किया जायेगा। विशेष जानकारी के लिए वेवसाईट www.westchamparan.nic.in एवं www.gmcbettiah.org पर भी देखा जा सकता है।

निविदा के लिए सामान्य शर्त :-

1. निविदा 02 (दो) प्रकार की होगी। तकनिकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग मोहरबंद लिफाफे में प्राप्त की जायेगी।
2. दवा एवं मशीन उपकरण/उपस्कर के निविदा के लिए अग्रधन के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बचत पत्र मो0–100000.00 (एक लाख) रूपये का अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया के पदनाम से संलग्न करना अनिवार्य है।
3. विविध सामग्री के निविदा के लिए अग्रधन के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बचत पत्र मो0–50000.00 (पचास हजार) रूपये का **अधीक्षक, एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया** के पदनाम से संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निविदादाताओं का तीन वर्षो का यानी 31.03.2016 तक का अंकेक्षण प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाताओं का तीन वर्षो का यानी 31.03.2016 तक का आयकर रिटर्न देना अनिवार्य होगा।
6. निविदा के साथ निर्माता/आपूर्तिकर्त्ता का अनुज्ञप्ति एवं नवीकरण प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. सभी निविदादाताओं को निविदा के साथ आयकर एवं बिक्री कर का चुकता प्रमाण–पत्र समर्पित करना अनिवार्य है।
8. निविदादाता द्वारा फर्म के मालिक/पार्टनर/निदेशक अभिकर्त्ता का हस्ताक्षर, निवास स्थान एवं दूरभाष संख्या सहित उल्लेखित रहना अनिवार्य है।
9. निविदादाताओं को आपूर्ति आदेश की प्राप्ति तिथि से 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर अपने खर्च पर आपूर्ति आदेश निर्गत करने वाले पदाधिकारी के भण्डार तक पहुचाना अनिवार्य है। आपूर्ति में हुये टुट–फूट एवं विलम्ब के लिए किसी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जाएगा।
10. क्रय समिति के द्वारा स्वीकृत दर वित्तीय वर्ष–2016–17 के पूरे एक वर्ष के लिए मान्य होगा।
11. लद्यु उद्योग ईकाई जो उत्पादनरत हो तथा WHO/GMP से प्रमाणित हो उन्हें नियमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी।
12. निविदादाता निविदा के साथ वाणिज्यकर के अन्तर्गत निबंधित होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करेगें।
13. दवा, उपकरण, उपस्कर एवं विविध समाग्रियों की सूची अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय से कार्य अवधि में 500. (पॉच सौ) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो **अधीक्षक एम0जे0के0 अस्पताल, बेतिया** के पदनाम से निर्गत हो देकर सीधे प्राप्त किया जा सकता है।
14. आपूर्ति किये गये दवा एवं सामाग्रियों के निम्न स्तर के पाये जाने पर किसी भी समय संबंधित आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।
15. निविदा संबंधी आवश्यक संशोधन अथवा निविदा रद्द करने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।
16. निविदा संबंधी किसी भी विवाद का निपटारा बेतिया न्यायिक प्रक्षेत्र में होगा।
17. अद्योहस्ताक्षरी से निर्गत दवा/उपकरण/उपस्कर एवं विविध सामग्री के सूची कि क्रमांक को किसी भी परिस्थिति में हस्तांतरित या बदलाव नही किया जाय।
18. प्रत्येक निविदादाता को एक शपथ–पत्र देना होगा की प्रत्येक दवा/उपकरण/उपस्कर /विविध सामग्री का मूल्य बाजार के थोक विक्रेता से कम है।

24/10/16

19. प्रत्येक स्थिति में आपूर्ति की गई दवा एंव सामग्रियों की गुणवत्ता कोटि कार्यकुशलता एवं टिकाउपन को ध्यान में रखना अनिवार्य है।
20. तकनिकी निविदा विहित शर्तों के अन्तर्गत सही पायी जाएगी तथा तकनिकी विश्लेषण में सफल घोषित होगें उन्ही का वित्तीय निविदा खोला जाएगा।
21. तकनिकी निविदा के साथ दिये गये कागजातों से संबंधित एक स्वहस्ताक्षरीत **Cheklist** लगावें।
22. वित्तीय निविदा में न्यूनतम दर (L1) चयनित आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा दवा, मशीन उपस्कर एवं विविध सामग्री की आपूर्ति नही की जाती है तो आपूर्तिकर्त्ता का सत्यंकार राशि जब्त करते हुये चयनित आपूर्तिकर्त्ता (L2) से (L1) के दर पर आपूर्ति स्वीकार की जा सकती है।
23. प्रत्येक निविदादाता को एक शपथ–पत्र देना होगा कि उनका फर्म काली सूची में दर्ज नही है।

सिर्फ दवा आपूर्त्तिकर्त्ता के लिए शर्त:–

1. आपूर्ति के समय दवाओं पर Govt. Supply not for sale अंकित होना अनिवार्य है।
2. आपूर्ति की जाने वाली सभी दवा, टेबलेट/कैपसुल की आपूर्ति स्ट्रीप पैकिंग में करना अनिवार्य है लुज पैकिंग स्वीकार नही होगा।
3. आपूर्ति की जाने वाली दवाओं का लेवलिंग स्पष्ट एवं पटनीय होनी चाहिए साथ कन्टेनर का पूर्णरूपेण सटा होना चाहिए। अन्यथा आपूर्ति स्वीकार नही की जायेगी।
4. आपूर्ति की जाने वाली दवा की समाप्ती तिथि कम से कम 18 से 24 माह होना अनिवार्य है।
5. आपूर्ति की गई सभी बैच की दवाओ का Test and Analysis संबंधित औषधि निरीक्षक के द्वारा कराया जायेगा। यदि कोई मानक स्तर का नही पाया जाता है तो आपूर्तिकर्ता के मूल्य पर दवा वापस करते हुए औषधि निरीक्षक के द्वारा Drug and Cosmetics Act. 1940 and The Rule 1945 के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी। साथ ही संबंधित आपूर्तिकर्ता के विरूद्ध Debarment/black listing/Deregistration या अन्य कोई विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
6. निविदादाता आपूर्तिकर्त्ता संस्थानों का थोक औषधि विक्रय अनुज्ञप्ति प्रमाण–पत्र, अद्यतन अनुज्ञप्ति नवीकरण प्रमाण–पत्र, भौतिक स्थिति में रहने संबंधी प्रमाण–पत्र, नन कन्भीकशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, औषधि निर्माता संस्थान से प्राप्त विक्रय प्राधिकार पत्र, प्राधिकृत करने वाले औषधि निर्माणकर्त्ता संस्थानों का औषधि निर्माण अनुज्ञप्ति प्रमाण–पत्र, अद्यतन निर्माण अनुज्ञप्ति नवीकरण प्रमाण–पत्र, अद्यतन अनुमोदित उत्पाद सूची (Product List) G.M.P/W.H.O Certificate.
7. निविदादाता आपूर्तिकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा आपूर्ति की गई औषधि अवसान तिथि के पूर्व जॉचोपरान्त किसी भी स्तर पर अमानक पाये जाने पर निविदादाता को भुगतान की गई राशि उनसे वसूल करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार यथोचित कार्रवाई की जायेगी।
8. निविदादाता का वार्षिक टर्न ओवर एक करोड़ रूपये का होना आवश्यक है।

मशीन उपकरण, उपस्कर एवं विविध सामग्री के लिए आवश्यक शर्त:–

1. मशीन उपकरण के सर्विसिंग/मरम्मती के निमित निविदादाता को बिहार में सर्विस सेन्टर तथा दक्ष अभियंता का नाम पता एवं फोन नं0 भी देना अनिवार्य होगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र उनकी सेवा ली जा सकें।
2. मशीन के साथ उपयोग होने वाले Consumble Item की सूची की भी चर्चा करेंगें।
3. मशीन के आवश्यकतानुसार Turn key के तहत की जाने वाली कार्यों का भी उल्लेख करेंगें।
4. मशीन, उपकरण एवं उपस्कर के लिए निविदादाता का वार्षिक टर्न ओवर एक करोड़ एवं विविध सामग्री के लिए पचास लाख रूपये का होना आवश्यक है।
5. निविदादाता को सामग्री आदि का एक–एक नमूना क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ताकि नमूना के आधार पर गुणवत्ता का पहचान किया जा सकेगा।
6. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा मशीन, उपकरण एवं उपस्कर की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन स्वंय करना होगा इसके लिए कोई अतिरिक्त खर्च देय नही होगा।

24/10/16

अधीक्षक,
एम0जे0के0 अस्पताल
सह रा0चि0 महाविद्यालय,
बेतिया, प0 चम्पारण।